2012:CGHC:9081

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील संख्या 111/2004

संतोष कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 23-04-2012 हेतु नियत

सही/-
आर.एस.शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील संख्या 111/2004

अपीलकर्ता: संतोष कुमार, आत्मज घनश्याम दास रुंगटा, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी मिलपारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यार्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थिति: अपीलकर्ता की ओर से श्री एन.एस. धुरंधर, अधिवक्ता। शासन/ प्रत्यार्थी की ओर से श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

निर्णय

(23 अप्रैल, 2012 को सुनाया गया)

यह अपील विशेष न्यायाधीश ,आवश्यक वस्तु अधिनियम(तादपश्यात अधिनियम), दुर्ग द्वारा विशेष प्रकरण नंबर 25/1997 में पारित निर्णय दिनांक 31-1-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलकर्ता संतोष कुमार को अधिनियम की धारा 7 के तहत सिद्धदोष ठहराया गया है और 3 महीने के सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जुर्माना न भरने की स्थिति में 15 दिनों का साधारण कारावास की सज़ा से दंडित किया गया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

दिनांक 3-5-1997 को खाद्य निरीक्षक प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) ने साझेदारी फर्म मेसर्स रुंगटा ट्रेडिंग कंपनी, दुर्ग का निरीक्षण किया। अपीलकर्ता उक्त फर्म का एक सक्रिय भागीदार था और सह-अभियुक्त संजय कुमार (दोषमुक्त) तथा श्रीमती कमलादेवी (मृत) भी उस फर्म की भागीदार थीं। निरीक्षण के दौरान, अपीलकर्ता ने साझेदारी फर्म के लाइसेंस के संबंध में गलत और संदिग्ध जानकारी प्रस्तुत की। प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) को फर्म के गोदाम में चावल की 852 बोरियाँ मिलीं, जबकि प्रदर्शित मूल्य और स्टॉक सूची में इसे शून्य दिखाया गया था। माँग करने पर, स्टॉक रजिस्टर, बिल-बुक आदि निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। फर्म के गोदाम में

चावल के भंडारण की कोई सूचना संबंधित खाद्य कार्यालय को नहीं भेजी गई थी। भौतिक सत्यापन में कोई गेहूँ नहीं पाया गया, जबकि फर्म के रोकड़ (कैश बुक) में इसे 115 क्विंटल दर्शाया गया था।

प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) ने प्रदर्श पी-8 के अनुसार चावल की 852 बोरियाँ जब्त कीं और उन्हें प्रदर्श पी-9 के अनुसार सुपुर्दनामा पर अपीलकर्ता को सौंप दिया। प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) ने प्रदर्श पी-10 के अनुसार कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया। उन्होंने पुलिस थाना दुर्ग में प्रदर्श पी-1 के माध्यम से लिखित रिपोर्ट दी। इसके आधार पर पुलिस थाना दुर्ग में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दर्ज की गई।

अन्वेषण पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता संतोष कुमार सहित अभियुक्तों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (अधिनियम), दुर्ग की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने विचारण किया और अपीलकर्ता को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष पाया और सजा सुनाई। सह-अभियुक्त संजय कुमार को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया और विचारण के दौरान श्रीमती कमलादेवी की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एस. धुरंधर ने तर्क दिया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध का दोषी ठहराने में त्रुटि कारित की है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि फर्म का लाइसेंस न तो जब्त किया गया था और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लाइसेंस की फोटोकॉपी साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्श डी-1 और डी-2 के माध्यम से अपीलकर्ता ने खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को चावल के अस्थायी भंडारण के बारे में जानकारी भेजी थी। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के संस्करण और प्रदर्श डी-1 व डी-2 पर गलत तरीके से अविश्वास किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विरोधाभासों से भरे हुए हैं। प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) के साक्ष्य की पुष्टि स्वतंत्र गवाहों द्वारा नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है। इसलिए, अपीलकर्ता दोषमुक्त होने का पात्र है। उन्होंने 'विमल चंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1994 (1) एम.पी.डबल्यू.एन टिपण्णी 59' के मामले पर अवलंब किया है।

4. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और सजा में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और विशेष मामला क्रमांक 25/1997 के अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

6. जहाँ तक फर्म के लाइसेंस का संबंध है, प्रदर्श पी-6 जब्ती ज्ञापन है। लाइसेंस की फोटोकॉपी प्रदर्श पी-6 के तहत अपीलकर्ता से जब्त की गई थी और मूल लाइसेंस विशेष प्रकरण क्रमांक 25/1997 के अभिलेख के साथ संलग्न था। अपीलकर्ता ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह उक्त साझेदारी फर्म का भागीदार था। प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) और जगदीश प्रसाद खंडेलवाल (अ.सा-5) ने गवाही दी कि प्रदीप रिछारिया ने अपीलकर्ता की साझेदारी फर्म का निरीक्षण किया था। प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) ने आगे गवाही दी कि उन्होंने प्रदर्श पी-10 के तहत कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया। जगदीश प्रसाद खंडेलवाल (अ.सा-5) ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रदर्श पी-10 पर अपने हस्ताक्षर किए थे। प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) ने गवाही दी कि जब्त की गई चावल की बोरियाँ सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-9 पर अपीलकर्ता को दी गई थीं। प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) के साक्ष्य और प्रदर्श पी-9 व पी-10 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि 'रुंगटा ट्रेडिंग कंपनी' फर्म का निरीक्षण प्रदीप रिछारिया द्वारा किया गया था और जब्त सामान अपीलकर्ता को सुपुर्दनामा पर सौंपा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में, अपीलकर्ता ने उपरोक्त तथ्यों से इनकार किया, लेकिन दस्तावेज़ प्रदर्श पी-9 से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता को सुपुर्दनामा पर 852 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ था।

8. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की साझेदारी फर्म का निरीक्षण प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) द्वारा किया गया था और फर्म के मूल लाइसेंस के अवलोकन के बाद, उन्होंने उसकी एक फोटोकॉपी जब्त की थी। कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी किया गया लाइसेंस एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है और साक्ष्य में स्वीकार्य है। ऐसी परिस्थिति में, यदि लाइसेंस को प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं भी किया गया, तो इससे अपीलकर्ता के मामले को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। अतः, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस न्यायिक दृष्टांत पर अवलंब लिया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होता है।

9. प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) ने साक्ष्य दिया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड पर चावल, गेहूँ और कनकी का स्टॉक शून्य दिखाया गया था। स्टॉक-रजिस्टर की माँग करने पर, वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। गोदाम उसी परिसर में स्थित था। गोदाम 'ए' में चावल की 852 बोरियाँ संग्रहित पाई गईं। उन्होंने आगे गवाही दी कि फर्म के रोकड़ (कैश बुक) के अवलोकन से यह पता चला

कि फर्म ने 115 क्विंटल गेहूँ खरीदा था, लेकिन मौके पर कोई स्टॉक नहीं मिला। अपीलकर्ता ने बताया कि उक्त गेहूँ देवदा स्थित उसकी आटा-चक्की में भेजा गया था, लेकिन वह उक्त आटा-चक्की को गेहूँ भेजने से संबंधित कोई चालान, बिल या अन्य दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें फर्म में खाद्य कार्यालय को त्रैमासिक विवरण भेजने का कोई अभिलेख भी नहीं मिला।

10. जगदीश प्रसाद खंडेलवाल (अ.सा-5) और नरसिंह देशमुख (अ.सा-7) अभियोजन पक्ष के समर्थन में नहीं आए और वे पक्षद्रोही हो गए, लेकिन उन्होंने प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की। जगदीश प्रसाद खंडेलवाल (अ.सा-5) ने प्रदर्श पी-8 से पी-17 तक के दस्तावेजों पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अपीलकर्ता की फर्म का दौरा किया था और उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) ने वास्तव में अपीलकर्ता की साझेदारी फर्म का निरीक्षण किया था।

11. **गिरजा प्रसाद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 7 एस.सी.सी 625** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिपण्णी किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**25**. हमारे निर्णय में, उपरोक्त प्रस्ताव इस बिंदु पर सही कानून निर्धारित नहीं करता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि गवाह की विश्वसनीयता को सच्चाई और विश्वसनीयता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारियों की गवाही पर कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती, भले ही ऐसा साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। अनुमान यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, यह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लागू होता है। केवल पुलिस बल से संबंधित होने के कारण पुलिस अधिकारियों की गवाही में कोई कमी नहीं दिखती है। यदि न्यायालय आश्वस्त है कि गवाह द्वारा कही गई बात में सच्चाई है, तो ऐसी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।"

"**26**. इस बिंदु पर विभिन्न निर्णयों का संदर्भ देना आवश्यक नहीं है। हम कह सकते हैं कि आधी सदी से भी पहले, 'आहेर राजा खीमा बनाम सौराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर 1956 एस.सी 217' में न्यायमूर्ति वेंकटराम अय्यर ने कंडिका 40 में निम्नानुसार कहा था:

“40. यह अनुमान कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, अन्य व्यक्तियों की तरह पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लागू होता है, और बिना ठोस आधार के उन पर अविश्वास करना न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है..."

"**27**. 'ताहिर बनाम राज्य (दिल्ली), (1996) 3 एस.सी.सी 338' में इसी तरह के प्रश्न पर डॉ. ए.एस. आनंद, न्यायमूर्ति ने कहा था:

"6. जहाँ पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य सावधानीपूर्वक जांच के बाद आत्मविश्वास जगाते हैं और भरोसेमंद पाए जाते हैं, वे दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं। नियम की कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसमें स्वतंत्र गवाहों की पुष्टि को अनिवार्य माना जाए, भले ही पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य अन्यथा पूरी तरह से विश्वसनीय हों।"

12. वर्तमान मामले में, प्रदीप रिछारिया (अ.सा-3) के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और जगदीश प्रसाद खंडेलवाल (अ.सा-5) के साक्ष्य द्वारा आंशिक रूप से समर्थित हैं।

13. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 35 में टिपण्णी किया है कि मूल लाइसेंस विशेष मामले के अभिलेख के साथ संलग्न था। अपीलकर्ता ने लाइसेंस में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किया। अपीलकर्ता द्वारा जिन शर्तों का उल्लंघन किया गया, उन पर विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 33 और 34 में विस्तार से चर्चा की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन और विवेचन किया। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि अपीलकर्ता ने लाइसेंस की शर्त संख्या 3, 5, 6, 12, 13 और 16 का भंग किया है, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 7 के तहत सिद्धदोष पाया।

15. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के सुसंगत प्रावधान इस प्रकार हैं:

"**7. दंड** — (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के तहत किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है — (अ) वह दंडनीय होगा —

(i) xxxxx xxxxx xxxxx

(ii) किसी अन्य आदेश के मामले में, कारावास से जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा:

परंतु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, तीन महीने से कम की अवधि के कारावास की सजा अधिरोपित कर सकता है।"

16. **रमेशचंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1991 क्रि.एल.ज 50** के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाई थी और 2,000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया था।

17. **सुरेंद्रनाथ सुबुद्धि बनाम उड़ीसा राज्य, 2005 क्रि.एल.ज 3367** के मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को सजा देने के बजाय उसे 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत रिहा कर दिया था।

18. **नारायणदास बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1988-II एम.पी.डबल्यू.एन टिपण्णी 66** के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को सजा देने के बजाय उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत रिहा कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में चालान दिनांक 20-11-1997 को प्रस्तुत किया गया था। माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 31-1-2004 को पारित किया गया। यह अपील दिनांक 3-2-2004 से इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह मामला 14 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। अतः मैं यह मानने का कोई कारण नहीं देखता कि केवल इस आधार पर कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध के लिए न्यूनतम कारावास की सजा निर्धारित है, अपीलकर्ता को अपराध परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से वंचित किया जाए। मेरा यह मत है कि अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गई कारावास की सजा भुगतने हेतु दंडित करने से कोई सार्थक उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। मुझे यह सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि पहले ही जमा कर दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अपीलकर्ता को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए।

20. परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपीलकर्ता का दोषसिद्धि आदेश की पुष्टि की जाती है, किन्तु उसे दी गई कारावास की सजा को आपस्त किया जाता है तथा अपीलकर्ता को सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा किए जाने का निर्देश

दिया जाता है, बशर्ते कि वह रुपये 10,000/- का बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, ताकि आवश्यकता होने पर वह उपस्थित होकर दंड प्राप्त करे और इस अवधि के दौरान शांति बनाए रखे तथा दो वर्षों तक सदाचार का पालन करे।

हस्ताक्षर/-

आर.एस.शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur